

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर

क्रमांक / स्थापना अवि. / 17/2020/585 "H"

नवा रायपुर, दिनांक 17/08/2020

## विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार जिला स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक 'पुरुष' / एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) के रिक्त पदों (बैकलॉग सहित) पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ॲन-लाईन आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2020 से दिनांक 30.08.2020 तक कार्यालयीन समय 05:00 बजे तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय वेबसाइट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) पर आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है:-

पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	जिला	सीधी भर्ती (बैकलॉग सहित) के रिक्त पदों की स्थिति												
				रिक्त पद	कुल रिक्तियों वर्गवार				कुल रिक्तियों में भूपूसे वर्गवार				कुल रिक्तियों में दिव्यांग वर्गवार			
					अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ. पि.व.	अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ. पि.व.	अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ. पि.व.
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) / एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	5200-20200 ग्रेड वेतन 2200 (लेवल -05)	तृतीय	गरियाबंद	30	12	5	13	0	4	1	4	0	6	0	2	0
			कवर्धा	20	10	0	10	0	0	0	0	0	1	0	1	0
			बालोद	15	7	1	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0
			बैमेतरा	27	17	5	1	4	1	0	0	0	2	1	0	0
			मुंगेली	10	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
			कोरबा	39	12	6	16	5	1	0	1	0	2	2	1	0
			रायगढ़	12	6	1	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
			वस्तर	30	2	0	22	6	1	0	3	1	1	0	0	0
			कोण्डागांव	25	2	2	21	0	0	0	2	0	0	0	1	0
			बीजापुर	25	0	2	21	2	0	0	2	0	0	0	0	0
			कांकोर	10	3	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0
			दंतेवाड़ा	21	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0	1	0
			सुकमा	21	0	0	21	0	0	0	2	0	0	0	1	0
			नारायणपुर	20	4	0	16	0	0	0	1	0	0	0	2	0
			बलरामपुर	20	0	0	20	0	0	0	2	0	0	0	7	0
			जशपुर	25	0	0	22	3	0	0	2	0	0	0	1	0
योग:-				350	80	26	217	26	8	1	20	1	12	3	20	0

## नोट :-

1. शैक्षणिक योग्यता – (1) जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+02) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (2) प्रशिक्षण केन्द्र से बहुदेषीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं (3) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिये।
2. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष)/एम.पी.डब्ल्यू (पुरुष) के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के पुरुष उम्मीदवार ही पात्र होंगे।
3. न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा – आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष (छ.ग. के स्थानीय निवासी के लिये) होनी चाहिये। आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, नियम, आदेश यथासंशोधित लागू होंगे।
  - 8.1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है।
  - 8.2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे-छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. उक्त पद हेतु केवल OL (एक पैर) एवं OA (एक हाथ) दिव्यांग ही पात्र होंगे।
5. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 30.05.2019 में संलग्न अधिसूचना दिनांक 28.05.2019 में उल्लेखित प्रावधानानुसार बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के रिक्त पद हेतु आवेदन किए जाने के लिए केवल उसी जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। इसी प्रकार कोरबा जिले हेतु कोरबा जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन किए जाने हेतु पात्र होंगे। शेष जिलों में आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त निवासी पात्र होंगे।
6. अभ्यार्थी केवल एक जिले हेतु आवेदन कर सकेंगे, अभ्यार्थी जिस जिले हेतु आवेदन करेंगे केवल उसी जिले हेतु पात्र माने जायेंगे।
7. उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे, भर्ती के संबंध में नियम, शर्तें, अन्य आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाइन आवेदन की विधि/प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) पर देखा जा सकता है।

संक्षिप्त  
स्वास्थ्य सेवायें  
छत्तीसगढ़

## सामान्य नियम एवं शर्तें तथा आवश्यक निर्देश

- 1. छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होंगे।
- 2. अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये (1) जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यम परीक्षा (10+02) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (2) प्रशिक्षण केन्द्र से बहुदेशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं (3) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कॉसिल में पंजीकृत होना चाहिये।
- 3. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष)/एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के पुरुष उम्मीदवार ही पात्र होंगे।
- 4. अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5. आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के छ.ग. पैरामेडिकल कॉसिल में उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हता के अनुसार जीवित पंजीयन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।
- 6. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण—पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 7. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 30.05.2019 में संलग्न अधिसूचना दिनांक 28.05.2019 में उल्लेखित प्रावधानानुसार बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के रिक्त पद हेतु आवेदन किए जाने के लिए केवल उसी जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। इसी प्रकार कोरबा जिले हेतु कोरबा जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन किए जाने हेतु पात्र होंगे। शेष जिलों में आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त निवासी पात्र होंगे।
- 8. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष (छ.ग. के स्थानीय निवासी के लिये) होनी चाहिये। आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश, नियम, आदेश यथासंशोधित लागू होंगे।
  - 8.1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है।
  - 8.2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे—छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 9. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन(सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है किन्तु किसी भी परिस्थिति में विज्ञापित कुल पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा।
- 10. (अ) छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20-4/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014 में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदों के लिये उपयुक्त OL (एक पैर) एवं OA (एक हाथ) दिव्यांग ही पात्र होंगे। मूल प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. अनुजाति. अनुजनजाति एवं अ.पि.वर्ग हेतु पदों का निर्धारण जिले में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  12. भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  13. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष)/एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) के नियमित पद पर कार्यरत कर्मचारी आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
  14. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  15. छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  16. शासकीय सेवा में कार्यरत रहे अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में ही सक्षम प्राधिकारी (कार्यालय प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन) द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ऑन-लाईन आवेदन के समय अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  17. जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उस जिले के आरक्षण रोस्टर अनुसार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त पात्र-अपात्र की सूची जारी कर एवं दावा आपत्ति लेने के उपरान्त चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी। तदउपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगे। प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
  18. प्रतीक्षा सूची जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वर्गवार/संवर्गवार तैयार किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैद्य रहेगी।
  19. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, दिनांक 28.07.2020 के तहत “किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जावेगा” एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होंगे।
  20. आवेदन करने के पूर्व विस्तृत जानकारी जिलेवार एवं संवर्गवार पद की स्थिति अवश्य देख लें। जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं। उस जिले में आपके संवर्ग का पद रिक्त होने पर ही आवेदन करें अन्यथा आवेदन न करें।
  21. चयन हेतु मापदण्ड :— शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी –
    - 21.1 12वीं कक्षा के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 50 अंक प्रावधानित है।
    - 21.2 बहुदेशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 35 अंक प्रावधानित है।
    - 21.3 अनुभव के अंक छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रावधानित हैं।
    - 21.4 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंक एवं अनुभव के अंक के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
  22. विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन का आधार मेरिट होगा तथा मेरिट सूची जिलेवार संवर्गवार जारी की जावेगी।
  23. ऑन-लाईन प्राप्त आवेदनों में आवेदक द्वारा प्रविष्ट किए गए जानकारी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी रूपरूप असत्य/गलत पाई जाती है तो विना किसी सूचना के अर्हता समाप्त कर दी जावेगी एवं संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

24. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अहंता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अहंता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अधोग्र पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, जिसकी सूचना आवेदक को पृष्ठक से नहीं दी जावेगी।
25. आवेदक द्वारा ऑन-लाईन आवेदन भरते समय समस्त जानकारी स्वयं जांच कर ले एवं आन-लाईन भरे गए आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति रकैन कर आन-लाईन अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होंगा। (आवेदक अपना ऑन-लाईन आवेदन पूर्ण रूप से भर लेवे, उसके पश्चात भरे गये फार्म का प्रिंट आउट निकाल लेवे, उक्त फार्म को स्वहस्ताक्षरित कर रकैन करते हुए ऑन-लाईन आवेदन के साथ संलग्न कर अपलोड करेंगे।)
26. आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे, आवेदक द्वारा ऑन-लाईन आवेदन में चाही गयी जानकारी साक्षात्त्वानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जावे एवं चाहे गए आवश्यक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न करे, आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
27. आवेदक अपना आवेदन करने के पूर्व विज्ञापनों में दिए गए नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन भरे, भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र-अपात्र की सुची, मेरिट सुची एवं भर्ती के संबंध में अन्य समस्त जानकारी केवल विभागीय वेबसाइट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) के माध्यम से दी जावेगी।
28. विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें / महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि का निर्वचन :— इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियोक्ता प्राधिकारी का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।



राज्यालय  
स्वास्थ्य सेवायें  
छत्तीसगढ़